न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 12 / 2016

1 रामकुमार सिंह पुत्र पोखर।
2 रामेश्वर उम्र पुत्र हरदेवा।
3 सीताराम पुत्र हरदेवा।
4 ओमप्रकाश पुत्र हरदेवा समस्त जाति जाट निवासीगण पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 रामसुख उम्र 67 वर्ष पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के आदेश दिनांक 20.04.2016 अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 33 / 14 बउनवानी रामसुख बनाम रामकुमार सिंह आदि

उपस्थिति :

1. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणधीर सिंह काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—31.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 33/2014 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की और से एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 100 रकबा 4.79 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 5.17 हैक्टेयर वाके ग्राम पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। प्रार्थी उक्त भूमियों का एकांकी काबिज खातेदार काश्तकार है एवं उक्त भूमियां प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 86,100 ग्राम पोसानी का सीमाज्ञान दिनांक 04.11.2009 को करवाया गया। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थी के खेत के पश्चिमी दिशा के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है जो प्रार्थी के खेत की पश्चिमी सीमा पर अतिक्रमण कर मौके की स्थिति परिवर्तित कर रहे है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 86,100 किता 2 कुल रकबा 5.17 हैक्टेयर वाके ग्राम पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.11.2009 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। उक्त आवेदन का जवाब अपीलांट/अनावेदक की और से पेश किया गया कि अतिक्रमित भूमि का कब्जा केवल मात्र बेदखली का वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत करके वाद डिक्री होने पर कब्जा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पत्थरगढ़ी का आदेश कानूनन पारित नही किया जा सकता। प्रार्थी ने यह आवेदन क्षेत्राधिकार से बाहर पेश किया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन आदेश से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित खसरा नम्बर 99 एवं 100 की पूर्वी सींव 100 साल से कायम है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.11.2009 की पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट पर दिनांक 20.04.2016 को विचाराधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा एक तरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। इस मौका रिपोर्ट के समय अपीलांट उपस्थित नही था ऐसी रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 7841/2005 में यथास्थिति के आदेश होने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित किया है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलांट का कथन रहा है कि विवादित खसरा नम्बर 99 एवं 100 की पूर्वी सींव 100 साल से कायम है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.11.2009 की पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट पर दिनांक 20.04.2016 को विचाराधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा एक तरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। इस मौका रिपोर्ट के समय अपीलांट उपस्थित नही था ऐसी रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 7841/2005 में यथास्थिति के आदेश होने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नही पाया जाता है अत अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर